दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021/जोन 'जे' की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्मिलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्–द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **तीस (30) दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में अथवा **ई–मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपने नाम और पते के साथ टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर एवं ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधनः

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.–2021/ जोन 'जे' की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमा
योजना जोन–जे में मैदानगढ़ी स्थित क्षेत्र	4.309 एकड़	'आवासीय'	'उपयोगिता' [यू 4–ठोस अपशिष्ट (निर्माण एवं निर्माण ढहाना) प्रबंधन सुविधा]	**उत्तरः** खाली भूमि (ओपन लैंड)। **दक्षिणः** अन्य भूमि (खसरा सं. 198)। **पूर्वः** दि.वि.प्रा. की भूमि। **पश्चिमः** फिरनी रोड।

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी **कार्य–दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली** में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात **https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx** पर भी उपलब्ध है।

हस्ता/–
(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

फाइल सं.एफ.3(12)/2014–एमपी
दिनांकः 31.07.2020
स्थानः नई दिल्ली

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टॉल फ्री नंबर 1800–110332 डायल करें